



वाणिज्य अ.ज.-531

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा)

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ.(वाणिज्य)/अ.अ.-II/2013-14/प्रे 4242 दिनांक 2-9-13

आदेश

विषय:- 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में।

100 से कम आबादी वाली ढाणियों में मुख्य मंत्री सबके लिए विद्युत योजना (संशोधित-2012) के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाने के संबंध में आदेश सं0 578 दिनांक 31.05.2012 (वाणिज्य अ.ज.-490) एवं आदेश सं0 1040 दिनांक 25.06.2013 (वाणिज्य अ.ज.-527) के तहत दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश के बिन्दु सं0 11 को निम्नानुसार पुनः आंशिक संशोधन कर परिवर्तित किया जाता है:-

“11 - अधीक्षण अभियन्ता (योजना) सभी वृत्त अधीक्षण अभियन्ताओं से उपरोक्त योजना के अन्तर्गत दिये गये कनेक्शनों का सम्पूर्ण विवरण (उपखण्डवार) लेकर संकलित सूचना को मुख्य लेखाधिकारी (आर एण्ड सी) को प्रेषित करेंगे एवं तदानुसार मुख्य लेखाधिकारी (आर एण्ड सी) जारी किये गये कनेक्शनों के संबंध में सम्पूर्ण वित्तीय विवरण राज्य सरकार को सूचनार्थ प्रेषित करेंगे।

आज्ञा से,

(जी.आर. चौधरी)

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

(Signature)

Amr / suis

R.R No 912 ..Dt. 2013/13
S.E. (IT) A.V.V.N.L., Aimer

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर/उदयपुर/झुंझनू।
2. मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा/अंकेक्षण/राजस्व), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
3. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान/परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्कॉम..... को उनके डिस्कॉम के लक्ष्यो का जिलेवार आवंटन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/एम.एम/आर.डी.पी.पी.सी./आई.टी.), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर / उदयपुर / जयपुर।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. प्रावेधिक सहायक, प्रबंध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
8. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
9. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
10. निजी सहायक, निर्देशक (वित्त/तकनीकी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।
11. निजी सचिव/शासन सचिव, उर्जा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
12. प्रावेधिक सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम, जयपुर।

(Mukherjee)

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य-II)